

कार्यालय मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ-2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था-2/17/3200

दिनांक:- 16/06/2017

कार्यालय आदेश

1. राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 01/2016 दिनांक 09.06.2016 को प्रसारित विज्ञापित के अन्तर्गत राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम 1967 के नियम संख्या 20 के तहत निम्नलिखित विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम 26 के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियंता सिविल (डिग्री) के पद पर निम्नानुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पद पर दो वर्ष की परीवीक्षाकाल अवधि पूर्णतया अस्थाई पर नियुक्ति दी जाती है।

S N	ROLL_N O	Name	DOB	FINAL_ CAT	Final_ Selected	Posting Place
1	308584	ओम प्रकाश गुर्जर	05-Jul-92	SBC	SBC	जल संसाधन उपखण्ड सवाई माधोपुर खण्ड सवाई माधोपुर
2	313745	सुशील कुमार गुर्जर	18-Mar-92	SBC	SBC	जल संसाधन उपखण्ड सपोटरा, खण्ड करौली
3	313562	सुरभि गुर्जर	23-Feb-93	SBC	SBC_F	जल संसाधन उपखण्ड द्वितीय टोंक ज.सं. खण्ड टोंक
4	313194	सुभाष गुर्जर	14-Jan-92	SBC	SBC	जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर
5	312123	सतीश गुर्जर	05-Dec-91	SBC	SBC	निर्माण उपखण्ड चतुर्थ खण्ड तृतीय बीसलपुर परियोजना, देवली
6	305757	खजान सिंह	02-Nov-94	SBC	SBC	बीसलपुर परियोजना नहर उपखण्ड चतुर्थ खण्ड प्रथम टोंक
7	304968	इन्द्र कुमार गुर्जर	16-Jun-93	SBC	SBC	सावन भादो उपखण्ड द्वितीय दरा मुख्यालय रामगंजमण्डी जल संसाधन खण्ड कोटा
8	304247	गिर्राज सिंह	02-Jul-92	SBC	SBC	जल संसाधन खण्ड द्वितीय धौलपुर
9	311393	रोहित कुमार गुर्जर	25-Jun-95	SBC	SBC	बांध उपखण्ड प्रथम, छबडा, जल संसाधन खण्ड द्वितीय छबडा
10	310710	रामावतार गुर्जर	01-Jul-94	SBC	SBC	बीसलपुर परियोजना नहर उपखण्ड द्वितीय खण्ड प्रथम टोंक
11	310278	राजेश कुमार गुर्जर	08-Jan-92	SBC	SBC	एलएमसी उपखण्ड द्वितीय रायपुर चंवली नहर परियोजना खण्ड झालावाड

2. परीवीक्षाकालीन अवधि में वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.15 के अन्तर्गत दो वर्ष की अवधि तक इन्हें रुपये 13,200/-प्रतिमाह की दर से भुगतान देय होगा।



3. परीवीक्षाकालीन अवधि की सेवायें संतोषप्रद पाए जाने पर इन्हें रनिंग पे-बैण्ड-2-रूपये 9300-34800 Grade Pay of Rs 3600/-प्रतिमाह एवं उन पर अन्य भत्ते दये होंगे।
4. (I) उक्त अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होकर उपस्थित रिपोर्ट के साथ फोटो आई.डी की फाटो प्रति. दो उत्तरदायी व्यक्तियों से जो अभ्यर्थी के रिश्तेदार न हो के चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक, तकनीकी योग्यता, आयु,विधवा, परित्यक्ता स्त्री, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छाया प्रति सम्बन्धित अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।
(II) अभ्यर्थी को सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष को प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण करना होगा।
5. नियुक्ति निम्न शर्तों के तहत होगी:-
I उक्त नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तौर पर होगी जो एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
II नियुक्तियों सेवा नियमों में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत जारी शर्तों के तहत निर्धारित होंगे।
III उक्त अभ्यर्थी पर राजस्थान सिविल सेवाये (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होंगे।
IV नियुक्ति अभ्यर्थी आदेश जारी होने के 30 दिवस की अवधि में अपनी उपस्थिति पदस्थापित स्थान पर नहीं देगा तो उपरोक्त नियुक्ति आदेश निरस्त माने जायेंगे।
V विवाहित अभ्यर्थी को विवाह प्रमाण पत्र एवं दहेज नहीं लेने सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं जीवित संतान की सूचना उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
6. अभ्यर्थी को भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ निहित प्रारूप में लेनी होगी।
7. यदि आप विवाहित हो तो:- क्या आपके एक से अधिक पत्नियों है ? स्त्री उम्मीदवार के लिये क्या आपने ऐसे पति से विवाह किया है जिसके एक से अधिक पत्नियों जीवित है, आपको इस संबंध में शपथ पत्र देना होगा।
8. उक्त नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई (Temporary) आधार पर रहेगी व नियुक्त अभ्यर्थी संबंधित पद पर स्थाईकरण (Confirmation) का अधिकारी नहीं होगा। उक्त विशेष पिछडा वर्ग की नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम कैप्टन गुरविन्दर सिंह व अन्य के अन्तिम निर्णय के अध्ययाधीन रहेगी।
9. उक्त आदेश वित्त (व्यय-3) विभाग की आई डी संख्या 101703213 दिनांक 16.6.2017 एवं संयुक्त शासन सचिव, जल संसाधन विभाग के आदेश क्रमांक प.2(17)क.अ./नियुक्ति/एसबीसी/2017 दिनांक 16.6.2017 द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।



(गिरीश लोढा)

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

जल संसाधन विभाग

राजस्थान, जयपुर।


दिनांक:- 16.06.2017

क्रमांक एफ-2/कनि0अभि0 (नियुक्ति)स्था-2/17/3901

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य अभियन्ता जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर।

4. मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा/जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ/नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर/इगानप, बीकानेर/सीएडी पश्चिम, बीकानेर/सीएडी पूर्व, जयपुर/गुण नियंत्रण, जयपुर/एसडब्ल्यूआरपीडी, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन संभाग, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/रेगुलेशन, इगानप, बीकानेर/इगानप, जैसलमेर
6. अधीक्षण अभियंता.....
7. उप निदेशक (आई टी) जल संसाधन विभाग, जेएलएन मार्ग,सिंचाई भवन, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
8. अधिशाषी अभियंता,
9. सहायक अभियंता.....
10. संबंधित पुलिस अधीक्षक.....
11. श्री.....
12. रक्षा पत्रावली



(अनिल अस्थाना)

अधीक्षण अभियन्ता (प्रशासन)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन
राजस्थान, जयपुर।